भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 704
जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2024 को दिया जाना है

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण

704. श्री माथेश्वरन वी.एस :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में सरकार के पास छह माह से अधिक समय से लंबित, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार को मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध सितम्बर, 2022 से मई, 2023 तक भ्रष्टाचार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : 26 नवंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, ऐसी पांच सिफारिशें हैं ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निपटान न्यायपालिका द्वारा "आंतरिक तंत्र" के माध्यम से किया जाता है । भारत के उच्चतम न्यायालय ने 7 मई, 1997 को दो संकल्प अंगीकृत किए अर्थात् (i) "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुन:कथन" जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा अनुपालन तथा अनुसरण किए जाने वाले कतिपय न्यायिक मानकों तथा सिद्धांतों का अधिकथन करता है और (ii) "आंतरिक प्रक्रिया" उन न्यायाधीशों, जो न्यायिक जीवन के सार्वभौम स्वीकृत मूल्यों का अनुसरण नहीं करते हैं, जिसके अंतर्गत वह भी हैं जो न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुन:कथन में शामिल हैं, के विरुद्ध उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई के लिए है ।

उच्चतर न्यायापालिका के लिए स्थापित "आंतरिक प्रक्रिया" के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतों को प्राप्त करने के लिए सक्षम हैं । उसी तरह, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए सक्षम है । भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित न्यायपालिका की स्वतंत्रता की दृष्टि में, प्राप्त शिकायतें/अभ्यावेदन, यथास्थिति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित की जाती हैं ।

****